



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1405 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1405

विषय /Sub : कंडेंसर, पार्ट सं. 41013907-ए/ Condenser, Part No.: 41013907 – A

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट, विशाखपट्टनम - 530 012 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित “कंडेंसर”, पार्ट सं. 41013907-ए जो एलसीए में उपयोग किया जाता है, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1405, दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1405 जारी किया गया था। तदुपरांत इसको संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1405-1आर/2ए, दिनांक 10 दिसंबर 2013 द्वारा संशोधन एवं नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक वैध है।

This is to state that the “Condenser” bearing the Part No.: 41013907 – A , used on LCA, designed, developed and manufactured by M/s Bharat Heavy Electrical Limited, Heavy Plates and Vessels Plant, Visakhapatnam – 530 012 was issued with Type Approval No.: 1405 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA – 1405, dated: 26th March 2009. This was subsequently Amendment and renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1405-1R/2A, dated: 10th December 2013 with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए -1405, दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1399, dated: 26th March 2009 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC / 5070 / टी.ए / TA-1405 / 2R

दिनांक / Date : 15 December 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080 – 2523 0856

IR

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)